



संख्या 201 दिनांक-3 दिसम्बर 0-09-00 खीका प्रमि
 सहकारी के दर्ज हैं जिसका विभाजन करना
 जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त
 प्रमि का विभाजन जमाबंदी में दर्ज खातेदारों के
 हिस्से एवं मौजे पर करके अनुसूचित डिप्टी
 जमीने के लिए प्रारम्भिक डिप्टी जारी करने
 का आदेश दिया जाता है। तदनुसार प्रारम्भिक
 डिप्टी जारी की जाये। पालना हेतु P. 1
 तहसीलदार कुम्भलगढ को भेजा जावे।
 पञ्जावली P. 1 की पालना में दिनांक
 04-7-17 को पेश हो।



सहायक कलक्टर
 (एस. डी. ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्द

१५/१३

पञ्जावली पेश हुई। तहसीलदार कुम्भलगढ से प्रारम्भिक
 डिप्टी की पालना में विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस
 प्राप्त हुए। प्राप्त विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस पर
 कोई आपत्ती पेश नहीं होने से स्वीकार किमे जाते हैं।
 विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस अनुसार राजसव
 राजसव रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया
 जाता है। तदनुसार डिप्टी जारी हो। पालना हेतु
 डिप्टी व स्वीकृत विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस
 तहसीलदार कुम्भलगढ को भेजा जावे। पञ्जावली
 फेराल सुमार लेकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले
 न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
 (एस. डी. ओ.) कुम्भलगढ
 जिला-राजसमन्द